

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.6(29)नविवि / 3 / 2004 पार्ट

जयपुर, दिनांक' 26, DEC 2022

आदेश

नये भूमि अवाप्ति अधिनियम, 2013 की धारा 24(2) एवं केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 48 के तहत स्वतः अवाप्ति से मुक्त करने एवं निकायों के सुसंगत अधिनियमों के तहत अधिसूचित योजनाओं का योजना क्षेत्र से मुक्त करने हेतु संलग्न मानक चैकलिस्ट में प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

संलग्न :— मानक चैकलिस्ट

राज्यपाल की आज्ञा से,

  
(डॉ. जोगाराम)  
शासन सचिव  
स्वायत्त शासन विभाग

  
(कुंजीलाल मीणा)  
प्रमुख शासन सचिव  
नगरीय विकास विभाग

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, सलाहकार, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर।
7. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
8. संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
9. आयुक्त, जयपुर / जोधपुर / अजमेर विकास प्राधिकरण जयपुर / जोधपुर / अजमेर।
10. समस्त उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
11. महापौर / सभापति / अध्यक्ष नगर निगम / परिषद / पालिका समस्त राजस्थान।
12. आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम / परिषद / पालिका समस्त राजस्थान।
13. सचिव, नगरीय विकास विभाग, समस्त राजस्थान।
14. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
15. रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त शासन सचिव—प्रथम

## मानक चैक लिस्ट

1. आवेदक का नाम व पता :- .....

2. भूमि का विवरण :-

i). खसरा संख्या / भूखण्ड संख्या :- .....

ii). गांव का नाम :- .....

iii). तहसील का नाम :- .....

iv). जिले का नाम :- .....

v). क्षेत्रफल :- .....

vi). भूमि की प्रकृति (कृषि / आवासीय / व्यावसायिक / अन्य) :- .....

3. भूमि अवाप्ति का उद्देश्य :- .....

4. भूमि अवाप्ति की कार्यवाही का विवरण :-

i). धारा 4 की दिनांक :- .....

ii). धारा 6 की दिनांक :- .....

iii). अवार्ड स्वीकृति की दिनांक :- .....

iv). अवार्ड जारी करने की दिनांक :- .....

v). अवार्ड की राशि :- .....

vi). अवार्ड में विकसित भूमि का विकल्प :- .....

vii). अवार्ड के भुगतान की स्थिति :- .....

viii). मुआवजे के रूप में विकसित भूमि आवंटन की स्थिति :- .....

5. भूमि के वर्तमान भौतिक कष्टों की स्थिति ? :-
6. क्या भूमि अवाप्ति का नकद मुआवजा खातेदार को प्राप्त हुआ है अथवा नहीं ? :-
7. जिस योजना हेतु यह भूमि अवाप्त की गई है, क्या उसकी क्रियान्वयनि उक्त भूमि पर की जा चुकी है अथवा नहीं ? :-
8. भूमि के संबंध में न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों का विवरण (यदि कोई हो तो) :-

(सचिव/आयुक्त/अधिशासी अधिकारी)  
नगर विकास न्यास/विकास प्राधिकरण/  
नगरपालिका/नगर परीषद/  
नगर निगम/आवासन मण्डल